न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 05/2018 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
जोरा (जोरसिंह) पुत्र श्री देवा उर्फ देवीसिंह जाति रजपूत निवासी काणदरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसीलदार पाली तहसील व जिला पाली (राज.) 2. रामसिंह पुत्र मोतीसिंह कौम रजपूत निवासी काणदरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जब्बरसिंह
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 24.07.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 534/300 की भूमि को अपीलाण्ट एवं चेलाराम पुत्र वरदाजी जाति लौहार ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.02.1982 को खातेदारी दुर्गा पुत्र चमनाजी जाति दरोगा निवासी काणंदरा से खरीद किया जिसकी फोटोप्रति संलग्न है तथा उसके आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों ने त्रुटिवश अपीलाण्ट का नाम जोरा पुत्र देवा की जगह जोराराम पुत्र देवाराम जाति रजपूत इन्द्राज कर दिया गया तथा जमाबन्दी संवत् 2043-2046 के कॉलम नम्बर 12, 13, व 14 में नामान्तरकरण संबंधी नोट में जोरा के स्थान पर जोगाराम पुत्र देवाराम दर्ज कर दिया। जबकि सही प्रविष्ठि पंजीकृत दस्तावेज अनुसार जोरा पुत्र देवाजी रजपूत निवासी काणदरा का अंकन किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रविष्टीयां विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज नहीं कर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारी विधिक भूल की है। जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 निरस्त कर पुनः विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज करने का आदेश फरमावे। जिससे अपीलाण्ट को गलत नाम की प्रविष्ठि से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके तथा अपीलाण्ट अपनी क्रयसुदा उक्त भूमि के संबंध में अपने हक अधिकार का विधिवत उपयोग कर सकें। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 19.12.2017 को हुई, जब वह फसली नुकसान मुआवजा की रकम बाबत पटवारी हल्के के पास अपने दस्तावेज बैंक डायरी, आधार कार्ड जमा करवाने गया तब पटवारी हल्का द्वारा यह कहते दस्तावेज जमा नहीं किए कि ना.स. 377 की भूमि जोगाराम पुत्र देवाराम रजपूत के नाम दर्ज है तथा उसके दस्तावेज उससे मिलान नहीं कर रहे है। उसी दिवस अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय पाली में उक्त नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो उसे दिनांक 22.12.2017 को प्राप्त हुई तक वकील से मिलकर 02.01.2018 को अपील श्रीमान के

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

समक्ष पेश की गई। अपील में हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 534/300 की भूमि को अपीलाण्ट एवं चेलाराम पुत्र वरदाजी जाति लौहार ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख दिनांक 09.02.1982 को खातेदारी दुर्गा पुत्र चमनाजी जाति दरोगा निवासी काणदरा से खरीद किया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसे दर्ज किए हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके है और लगभग 30 वर्ष पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करना स्पष्टतया म्याद बाहर है लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त विक्रय विलेख में अंकित नाम के अनुसार नहीं किया गया है। जिससे विक्रय विलेख एवं राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम में भिन्नता है। जो लिपिकीय त्रुटि हुई है। इसे 30 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात सुधार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई जैर अपील नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट का नाम पंजीबद्ध दस्तावेज के अनुरूप जोरा पुत्र देवाजी रजपूत नहीं लिखा गया है उसके स्थान पर जोराराम पुत्र देवाराम रजपूत तथा जमाबंदी में जोगाराम अंकित कर दिया है। इससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुए है, जहां हक अधिकारों का प्रश्न हो वहां म्याद के बिन्दु को गौण मानना ही न्यायोचित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट एवं चेलाराम पुत्र वरदाजी जाति लौहार ने दिनांक 09.02.1982 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख से ग्राम काणदरा पटवार हल्का मण्डली खुर्द के ख.न. 534/300 रकबा 09.19 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि दुर्गा पुत्र चमनाजी दरोगा से जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के क्रय की है। जिसका नामान्तरकरण नायब तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 को स्वीकृत किया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का नाम विक्रय विलेख में जोरा पुत्र देवाजी है तथा नामान्तरकरण में जोराराम पुत्र देवाराम कर दिया गया है एवं जमाबंदी संवत् 2043–2046 के कॉलम संख्या 12, 13 व 14 में नामान्तरकरण संबंधी नोट में पुनः त्रुटि करते हुए अपीलाण्ट का नाम जोगाराम पुत्र देवाराम रजपूत कर दिया गया है। जो कि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को दर्शाता है। इस प्रकार अपीलाण्ट का नाम राजस्व रकेर्ड में विक्रय विलेख के अनुसार दर्ज नहीं किया है जो लिपिकीय एवं विधिक भूल है। सरकारी पैरोकार भी इससे सहमत है कि राजस्व रेकर्ड में किया गया इन्द्राज विक्रय विलेख अनुसार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 28.05.1987 ग्राम काणदरा पटवार हल्का मण्डली खुर्द तहसील पाली को अपास्त किया जाता है एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट जोरा (जोरसिंह) पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में विक्रय विलेख अनुसार इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें तथा तद्नरूप ही जमाबंदी में इन्द्राज किया जावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल नामान्तरकण तहसीलदार पाली को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)